न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 12/18 (RCMS No.2018/00012) (75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. ब्रहम सिंह | पिस. रामसहाय
2. अमृत सिँह | जाति गूजर रिवासी पिपलपुरा तहसील
3. मु0 रूपन्ती वेवा रामसहाय | व जिला करौली
4. रूप सिंह
5. राजवीर | पिसरान चरण सिंह निवासी गुरजा तहसील व जिला करौली
6. वेदराम
7. पूरन सिंह पुत्र रामनारायण जाति गूजर निवासी सहगरपुरा तहसील व जिला करौली

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार करौली
निर्णय दिनांक 01.01.2018

उपस्थितिः—

1. श्री राजेन्द्र सिंह वकील अपीलान्ट
2. श्री उदयवीर कसाना राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः—29.11.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार करौली के रिब्यू निर्णय दिनांक 01.01.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी ख0 नं0 1607 में से रकवा 8 बीघा 7 विस्वा वॉके ग्राम सेंगरपुरा तहसील करौली का आवंटन 1982 में अपी0 सं0 1व 2 के पिता व 3 के पति रामसहाय को हुआ था तथा आराजी ख0 नं0 1615/1 में से 5 बीघा भूमि ब्रहम सिंह पुत्र रामसहाय को वर्ष 1988 में आवंटित की गयी थी। जिसकी खातेदारी के लिये अपीलान्ट सं0 1 व 2 ने तहसीलदार करौली के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार करौली ने दिनांक 21.12.17 को विवादित आराजी पर खातेदारी प्रदान कर दी। आम जनता ग्राम सैंगरपुरा तहसील करौली ने एक प्रार्थना पत्र उप जिला कलक्टर करौली को पेश कर निवेदन किया कि उक्त ख0 नं0 पड़त है, जो चारागाह भूमि थी, मवेशियॉ चरती है। ब्रहम सिंह वगैरहा ने उक्त आराजी को गैर खातेदारी में दर्ज करायी हुई है, को पुनः चारागाह दर्ज किया जावे। तहसीलदार ने दिनांक 29.12.17 को ग्रामवासियों एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर के साथ मौका पर्चा तैयार किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने गैर खातेदारी से खातेदारी को नियम विरूद्ध मानते हुऐ खातेदारी के संबंध में रिब्यू करने एवं खातेदारी को निरस्त करने के निर्देश दिये गये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार ने प्रकरण को पुनरावलोकन किया। तहसीलदार करौली ने प्रकरण दर्ज कर खातेदारी आदेश दिनांक 21.12.17 को निरस्त कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी ख0 नं0 1607 रकवा 8 बीघा 7 विस्वा अपीलान्ट सं0 1 से 3 के पिता/पति रामसहाय को तथा आराजी ख0 नं0 1615/1 रकवा 5 बीघा अपीलान्ट संख्या 1 ब्रहम सिंह को 1982 में आवंटित की गयी थी। आवंटन के बाद ही आवंटी के नाम गैर खातेदारी का इन्द्राज हो गया। अपीलान्ट के पिता रामसहाय की मृत्यु के बाद विरासतन अपीलान्ट सं0 1 लगायत 3 के नाम दर्ज हो गया। उक्त आवंटन को 35 वर्ष से अधिक हो चुके थे। आवंटी ने खातेदारी के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर पटवारी हल्का व गिरदावर से मौके की रिपोर्ट ली गयी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि आवंटी आवंटन भूमि को खेती के काम ले रहे हैं, आवंटी द्वारा आवंटन की सभी शर्तों का पालन किया है तथा आवंटी को खातेदारी अधिकार दिये जाने की सिफारिश की। तहसीलदार ने इस रिपोर्ट को सही मानते हुऐ दिनांक 21.12.17 को आवंटित भूमि पर अपीलान्टस सं0 1 लगायत 3 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। जिसके आधार पर नामा0 सं0 1181 व 1182 तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किये गये। इसके बाद कुछ ग्रामीण व्यक्तियों ने दिनांक 28.12.17 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र अति0 जिला कलक्टर करौली को पेश किया। जिस पर दिनांक 19.12.17 को मौका देखना बताया गया। मौके के अनुसार आवंटित भूमि पर काश्त नही करने की स्थिति बतायी गयी जबकि सही तथ्य यह है कि मौके पर कोई अधिकारी पटवारी गिरदावर दिनांक 29.12.17 को नही आये और न ही मौका देखने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस दिया। गॉव वालों ने अपी0 की आराजी के बजाय अन्य की आराजी दिखा दी और इसी आधार पर अपीलान्ट के खातेदारी आदेश को निरस्त कर दिया। यदि अपीलान्ट को तलब किया होता तो अपीलान्ट अपनी आराजी बताता। अपी0 को बिना नोटिस जारी किये कार्यवाही की है। एडीएम साहब ने तहसीलदार पर नाजायज दबाब डालते हुऐ यह मौखिक आदेश दिया कि खातेदारी के आदेश को रिब्यू करते हुऐ निरस्त किया जावे। तहसीलदार ने अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये व बिना सुने रिब्यू आदेश दिनांक 01.01.18 को पारित कर दिया, जो विधि संगत नही है।

उनका तर्क है कि तहसीलदार ने उक्त आदेश धारा 86 भू राजस्व अधिनियम के विरूद्ध पारित किया है। रिब्यू उसी स्थिति में किया जा सकता है जब संबंधित पक्षकार प्रार्थना पत्र रिब्यू करने हेतु पेश करे या न्यायालय स्वप्रेरणा से रिब्यू कर सकती है। किसी अजनीवी व्यक्ति या शिकायत कर्ता के आधार पर रिब्यू आदेश पारित नही किया जा सकता है। इस प्रकरण में न तो तहसीलदार ने स्वप्रेरणा के आधार पर रिब्यू कार्यवाही प्रारम्भ की है और न ही पक्षकार मुकदमा में से किसी ने रिब्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। बिना पक्षकार को सुने रिब्यू नही किया जा सकता है। अपने कथन के समर्थन में 1982 आरआरडी 330, 1995 आरआरडी 567 पेश की। तहसीलदार ने एडीएम के मौखिक आदेश व शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र के आधार पर निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन आदेश का प्रभाव गैर खातेदारी अधिकार पर नही पड़ता है। उक्त आदेश से अपीलान्ट के गैर खातेदारी अधिकार को निरस्त नही किया जा सकता है। उसके लिये तो सक्षम न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अपी0 का तर्क है कि आवंटन आदेश निरस्त किये बिना गैर खातेदारी या खातेदारी के नामा0 को निरस्त नही किया जा सकता है। अपने पक्ष के समर्थन में 1992 आरआरडी 356 व 1999 आरआरडी 168 पेश की। उन्होंने 1998 (2) आरएलआर 217, 2003 आरआरटी 921 पेश करते हुऐ कथन किया कि आवंटन आदेश 20 साल बाद निरस्त नही किया जा सकता है। उनका तर्क है कि पटवारी ने दिनांक 06.12.17 को रिपोर्ट पेश की है कि आवंटन की पूर्ण शर्तों की पालना की है तथा आज भी कब्जे में है, मौके पर जिन्स बोई

गई है। इस रिपोर्ट के 7 दिन बाद ही पटवारी हल्का व गिरदावर तहसीलदार इस मौका रिपोर्ट को विरोधाभाषी रिपोर्ट कैसे दे सकते है। उनका तर्क है कि अपीलान्ट ने खसरा गिरदावरी सं0 2039 लगायत 2054 पेश की हैं जिनमें अपी0 की आराजी में जिन्स दर्ज है। विवादित आराजी पूर्ण रूपेण बरसात पर ही निर्भर है क्योंकि उस जमीन में अन्दर ग्राउण्ड वाटर नही है इसलिये वोरिंग सफल नही हो पाती है। जिस वर्ष वर्षा हो जाती है उसी वर्ष अपीलान्ट द्वारा आवंटित भूमि के जिन्स वोई गयी है।अपीलान्ट विवादित आराजी पर बदस्तूर काबिज चला आ रहा है तथा विवादित आराजी में काश्त की जा रही है। आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर उक्त आराजी का बिक्रय अपीलान्ट सं0 4 लगायत 7 को किया जा चुका है तथा कब्जा भी क्रेता अपीलान्ट को सॅभला दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि विवादित आराजी में किसी प्रकार की काश्त नही हो रही है। भूमि पड़त होने से पशुओं के चराने की काम में आ रही है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा है। विवादित आराजी पर कब्जा नही होने से अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते हैं। अपीलान्ट ने गलत रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं। गॉव वालों की शिकायत पर मौके पर एडीएम, तहसीलदार, गिरदावर व पटवारी पहुॅचे थे जिन्होंने मौका देखा है और मौके पर ही एडीएम साहब ने खातेदारी के आदेश को रिब्यू करने के आदेश तहसीलदार को दिये थे। तहसीलदार उक्त आदेशों की पालना में ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी ख0 नं0 1607 रकवा 8 बीघा 7 विस्वा वॉके ग्राम सैंगरपुरा का आवंटन अपीलान्ट सं0 1 लगायत 2 के पिता व 3 के पति रामसहाय को तथा ख0 नं0 1615/1 रकवा 5 बीघा वॉके ग्राम सैंगरपुरा तहसील करौली का आवंटन ब्रहम सिंह अपीलान्ट सं0 1 को हुआ था। आवंटन के बाद आवंटी को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया जो इन्द्राज लगभग 30 व 36 वर्षों से बदस्तूर चले आ रहे हैं। अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र ''खातेदारी अधिकार प्रदान करने के क्रम में'' पर गिरदावर एवं पटवारी रिपोर्ट के अनुसार आवंटन हुऐ 35 वर्ष हो चुके हैं तथा आवंटित भूमि को खेती के काम में लिया जा रहा है और उसका समुचित रूप से उपयोग कर रहा है तथा आवंटी द्वारा आवंटन की सभी शर्तों का पालन किया है। अतः आवंटी को खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित है। इसी आधार पर तहसीलदार ने दिनांक 21.12.17 को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं। तहसीलदार ने खातेदारी अधिकार दिये जाने की नियमानुसार प्रकिया अपना कर आवंटी गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता एवं अवैधानिकता नही है। आवंटी ने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर विवादित आराजी को अपीलान्ट सं0 4 लगायत 7 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा बिक्रय कर कब्जा दिया गया है। क्रेतागण अपीलान्ट सं0 4 लगायत 7 का विवादित आराजी में हित निहित होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

जहॉ तक प्रकरण के पुनरावलोकन का प्रश्न है। यह प्रकिया नियम विरूद्ध की गयी है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत पुनरावलोकन के संबंध में नियम बनाये गये हैं जिनके अनुसार या तो स्वंय पक्षकार पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है या न्यायालय स्वप्रेरणा से प्रकरण को पुनरावलोकन के लिये रख सकता है। किसी अन्य के प्रार्थना पत्र देने पर पुनरावलोकन नही किया जा सकता है। इस प्रकरण में 7–8 गॉव वालों के शिकायती प्रार्थना पत्र पर प्रकरण को पुनरावलोकन किया है। गॉव वालों ने

बताया है कि उक्त आराजी चारागाह है जो मवेशियों के चरने के काम आती है। प्रथम तो यदि विवादित आराजी चारागाह होती तो आवंटन ही नही किया जाता। दूसरे 35 वर्ष तक अपीलान्ट काश्त करते रहे और आज जब अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये तो भूमि चारागाह हो गयी। हम इस प्रार्थना पत्र के तथ्यों व शिकायत से सहमत नही हैं। यदि गॉव वालों को विवादित आराजी के संबंध में कोई शिकायत थी तो 35 वर्ष पूर्व आवंटन के बाद करते। शिकायतकर्ताओं ने 35 वर्ष तक कुछ नही किया और आज आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये तो वारानी भूमि एवं गैर खातेदारी की भूमि को चारागाह बताया जा रहा है, जो उचित नही है। यदि वह लोग व्यथित हैं तो कानून के अनुसार उचित कार्यवाही सक्षम न्यायालय में करनी चाहिये थी। आवंटन आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील पेश करते और वहॉ से अनुतोष प्राप्त करते। केवल खातेदारी या गैर खातेदारी के नामान्तरकरण को निरस्त करने से अपीलान्ट का आवंटन निरस्त नही हो सकता है। आवंटी का आवंटन आज तक बहाल है। इसलिये आवंटन के बाद उन्हें नियमानुसार गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुऐ हैं और उसके बाद खातेदारी अधिकार दिये गये है।

जहॉ तक भूमि के पड़त या चारागाह का प्रश्न है। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी से जाहिर है कि विवादित आराजी की किस्म वारानी है तथा उसमें जिन्स दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर आवंटी नियमित काश्त करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में 35 वर्ष बाद यह कहना कि उक्त भूमि मवेशियों के चरने के काम आती है, बिल्कुल उचित नही है। अपी0 उक्त आराजी पर काबिज है तो उसे मवेशियों को चराने के लिये नही माना जा सकता तथा किसी की गैर खातेदारी की आराजी या खातेदारी की आराजी में गॉववालों को मवेशियॉ चरने के लिये नही कहा जा सकता है। किसी शिकायत पर मौखिक आदेश से किसी की खातेदारी को समाप्त नही किया जा सकता है। एक बार यदि किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है तो उन्हें सक्षम न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। पुनरावलोकन कर निरस्त नही किया जा सकता है। आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं जिन्हें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत निरस्त नही किया जा सकता है इसके लिये सक्षम न्यायालय में दावा दायर कर ही अनुतोष लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार का पुनरावलोकन आदेश दिनांक 01.01.2018 विधि सम्मत् नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार करौली का विवादित आराजी ख0 नं0 1607 रकवा 8 बीघा 7 विस्वा एवं ख0 नं0 1615/1 रकवा 5 बीघा वॉके ग्राम सैंगरपुरा तहसील करौली के संबंध रिव्यू मु0 नं0 3/17 पर दिये गये निर्णय दिनांक 01.01.2018 को निरस्त किया जाता है। उक्त विवादित आराजी के संबंध में तहसीलदार करौली के खातेदारी आदेश 4875 व 4876 दिनांक 21.12.2017 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

Web Copy - Not Official